

(स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना)

सूचना

महाविद्यालय के समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि "मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना" के अंतर्गत अपना पंजीयन अपनी योग्यता एवं स्वेच्छानुसार ट्रेड एवं कम्पनी में करायें, जिसमें प्रतिमाह रु. 8,000-10,000/- स्टाईपेण्ड के रूप में शासन के द्वारा प्रदान किया जायेगा एवं साथ ही प्रशिक्षण उपरांत इन्ट्रेनशिप सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जायेगा।


विस्तृत जानकारी के लिए आई.टी.आई. कालेज या जिला पंचायत से सम्पर्क करें।


10.6.2023

(डॉ. अच्युत पाण्डेय)
संभागीय नोडल अधिकारी
स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय
रीवा (म०प्र०)



(डॉ. अर्पिता अवस्थी)
प्राचार्य
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय
रीवा (म०प्र०)



श्री 75वाँ
सन्मेलन



शिक्षण
सिखाने
संस्थाओं

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (MMSKY)

युवाओं की पात्रता

- 18 से 29 वर्ष आयु
 - मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी
 - 12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण या उससे उच्च
- ## स्टाइपेण्ड
- ट्रेनिंग में 12वीं उत्तीर्ण को रु. 8000, आईटीआई उत्तीर्ण को रु. 8500, डिप्लोमा उत्तीर्ण को रु. 9000 एवं स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक योग्यता को रु. 10 हजार प्रतिमाह

योजना का लाभ


- नवीनतम तकनीक के माध्यम से उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण।
- मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रमाणन।
- नियमित रोजगार प्राप्त करने की योग्यता।



योजना के पोर्टल <https://mmsky.mp.gov.in/>

पर पंजीयन 15 जून 2023 से प्रारंभ

कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश



रेवेंड मोदी
प्रधानमंत्री



शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (MMSKY)

प्रतिष्ठानों की पात्रता

- देश/प्रदेश के औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिनके पास PAN और GST पंजीयन है।
- योजना सभी निजी संस्थानों जैसे- प्रोपराइटरशिप, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, समिति, आदि पर लागू होगी।

प्रतिष्ठानों को लाभ

- प्रतिष्ठान अपने कुल कार्यबल के 15 प्रतिशत की संख्या तक युवाओं को प्रशिक्षण दे सकते हैं।
- युवाओं को प्रतिमाह प्रशिक्षण उपरांत निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेंड का 25% प्रतिष्ठान द्वारा एवं 75% राज्य शासन द्वारा भुगतान किया जावेगा।
- योजना अंतर्गत 46 क्षेत्रों में 800 से भी अधिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण।

योजना अंतर्गत क्षेत्र

- **विनिर्माण:** इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, आदि।
- **प्रबंधन:** मैनेजमेंट एवं मार्केटिंग क्षेत्र।
- ऐसे क्षेत्र जिनमें प्रशिक्षण उपरांत छात्र-प्रशिक्षणार्थी गिग इकोनोमी एवं ब्लू कॉलर जॉब्स हेतु उपयुक्त होंगे।
- **सेवा:** होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म और ट्रैवल, अस्पताल, रेलवे, आदि।
- **आईटी:** आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट।
- **वित्तीय:** बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवाएँ।
- मीडिया, कला, कानूनी एवं विधि सेवाएँ।
- शिक्षा व प्रशिक्षण।



योजना के पोर्टल <https://mmsky.mp.gov.in/>

पर पंजीयन 7 जून 2023 से प्रारंभ

कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश



नेहरू बोली
प्रधानमंत्री



शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (MMSKY)

युवाओं के लिए अवसरों का नया आसमान

युवाओं की पात्रता

- 18 से 29 वर्ष आयु
- मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी
- 12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण या उससे उच्च


स्टाइपेंड

- ट्रेनिंग में 12वीं उत्तीर्ण युवाओं को ₹ 8000, आईटीआई उत्तीर्ण को ₹ 8500, डिप्लोमा उत्तीर्ण को ₹ 9000 एवं स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक योग्यता को ₹ 10

हजार प्रतिमाह

योजना का लाभ

- नवीनतम तकनीक के माध्यम से उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण।
- मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रमाणन।
- नियमित रोजगार प्राप्त करने की योग्यता।



योजना के पोर्टल <https://mmsky.mp.gov.in/>

पर पंजीयन 15 जून 2023 से प्रारंभ

कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मध्यप्रदेश शासन



नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (MMSKY)



शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

प्रतिष्ठानों के लिए योग्य कार्यबल हेतु नया मंच

प्रतिष्ठानों की पात्रता

- देश/प्रदेश के औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिनके पास PAN और GST पंजीयन है।
- योजना सभी निजी संस्थानों जैसे- प्रोपराइटरशिप, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, समिति, आदि पर लागू होगी।

योजना अंतर्गत क्षेत्र

- **विनिर्माण** : इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, आदि।
- **प्रबंधन**: मैनेजमेंट एवं मार्केटिंग क्षेत्र।
- ऐसे क्षेत्र जिनमें प्रशिक्षण उपरांत छात्र-प्रशिक्षणार्थी गिग इकोनोमी एवं ब्लू कॉलर जॉब्स हेतु उपयुक्त होंगे।
- **सेवा** : होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म और ट्रेवल, अस्पताल, रेलवे, आदि।
- **आईटी**: आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट।
- **वित्तीय** : बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवायें।
- मीडिया, कला, कानूनी एवं विधि सेवाएं।
- शिक्षा व प्रशिक्षण।

प्रतिष्ठानों को लाभ

- पंजीकृत प्रतिष्ठान अपने कुल कार्यबल, जिसमें नियमित व संविदात्मक कर्मचारी शामिल होंगे, के 15% की संख्या तक युवाओं को प्रशिक्षण दे सकते हैं।
- प्रतिष्ठान को निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेंड की 25% राशि युवाओं के बैंक खाते में जमा करनी होगी।
- प्रतिष्ठान उसके लिए निर्धारित राशि से अधिक राशि देने के लिए स्वतंत्र होगा।
- प्रतिष्ठान द्वारा राशि जमा करने के बाद निर्धारित स्टाइपेंड का 75% राज्य शासन की ओर से युवाओं को DBA के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि तक स्टाइपेंड दिया जावेगा।

योजना के पोर्टल <https://mmsky.mp.gov.in/> पर पंजीयन 7 जून 2023 से प्रारंभ

कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मध्यप्रदेश शासन